संख्या : 336/XIII(II)/2013–30(05)/2013

प्रेषक,

ओमकार सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं जलागम अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 01 नवम्बर, 2013

विषयः विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (UDWDP)-Phase 2 हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में Retroactive financing के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 284/XXVII-I/2013 दिनांक 30.3.2013 एवं शासनादेश संख्या 413/XXVII-I/2013 दिनांक 10.6.2013 के आलोक में तथा आपके पत्र संख्या 466/3–2(ब) दिनांक 16.8.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित प्रस्तावित UDWDP-Phase 2 हेतु परियोजना क्षेत्रों के चयन एवं परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व समस्त विशेषज्ञों, क्षेत्रीय एन.जी.ओ., पार्टनर एन.जी.ओ. इत्यादि के चयन कर नियुक्त किये जाने संबंधी माह अप्रेल, 2013 से अक्टूबर, 2013 तक के व्ययों के भुगतान के लिए Retroactive financing के अधीन शासनादेश संख्या 202/XIII-2/2013-30(05)/2013 दिनांक 24.7.2013 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष, वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 172लाख (₹ एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र) नियमानुसार व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

(1) उक्त धनराशि का व्यय उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.3.2013 एवं शासनादेश दिनांक 10.6.2013 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों तथा विश्व बैंक सहायता अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित वर्णित परियोजना से संबंधित नियमों व शर्तों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के 80% उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण एवं व्यय उन्हीं कार्यों हेतु किया जाएगा जो नियमानुसार अनुमन्य हों एवं सक्षम स्तर से उनको अनुमोदित करा लिया गया हो।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2014 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को एवं यथास्थिति अन्य को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(5) व्यय करते समय मितव्ययता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

(6) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति परियोजना हेतु लागू मानकों व अधिप्राप्ति नियमों का पूर्ण पालन किया जाएगा और जहाँ कहीं कोई विशिष्ट अधिप्राप्ति नियम लागू न हों, उन मामलों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाएगा।

(7) Retroactive financing व्यवस्था के दृष्टिगत पूर्व में स्वीकृत तथा वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रत्येक दशा में विश्व बैंक सहायतित वर्णित प्रस्तावित परियोजना से कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।

क्रमशः...

CFO/ [illegible]
[illegible]
1/11/13

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के ''अनुदान संख्या–17'' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनाएं–97–वाह्‌य सहायतित योजना–02–उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना'' के मानक मद '42–अन्य व्यय' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. S1311170001 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 90(पी.)/XXVII(4)/2013 दिनांक 26अक्टूबर, 2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओमकार सिंह)
अनुसचिव।

संख्या : 336 (1)/XIII-II/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौडी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनुसचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Jalagam (S026)

आवंटन पत्र संख्या - 172

अनुदान संख्या - 017

अलोटमेंट आई डी - S1311170001

HOD Name - Director Watershed Management (4798)

आवंटन पत्र दिनांक -01-Nov-2013

1: लेखा शीर्षक 2401 - फसल कृषि कर्म
00 -
800 - अन्य योजनायें
02 - उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना
97 - बाह्य सहायतित योजना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	77922000	0	77922000
02 - मजदूरी	5570000	0	5570000
03 - महंगाई भत्ता	62337000	0	62337000
04 - यात्रा व्यय	2875000	0	2875000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	75000	0	75000
06 - अन्य भत्ते	11000000	0	11000000
07 - मानदेय	273000	0	273000
08 - कार्यालय व्यय	1250000	0	1250000
09 - विद्युत देय	2500000	0	2500000
10 - जलकर / जल प्रभार	100000	0	100000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	750000	0	750000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200000	0	200000
13 - टेलीफोन पर व्यय	400000	0	400000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	3000000	0	3000000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	37000	0	37000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	2550000	0	2550000
18 - प्रकाशन	13000	0	13000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	200000	0	200000
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	28000000	0	28000000
25 - लघु निर्माण कार्य	1375000	0	1375000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	50000	0	50000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	2800000	0	2800000
29 - अनुरक्षण	750000	0	750000
42 - अन्य व्यय	32940000	17200000	50140000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	75000	0	75000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	75000	0	75000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	200000	0	200000
	237317000	**17200000**	**254517000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 17200000